[न्या]यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **301 / 2024** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जालाराम पुत्र घमण्डा 2. तिलाराम पुत्र घमण्डा 3. पेमाराम पुत्र घमण्डा 4. लुम्भाराम पुत्र घमण्डा 5. वीरमाराम पुत्र घमण्डा जाति जाट, निवासी बोड़वा (बायतु) हाल निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. पूर्णाराम पुत्र देवाराम 3. भेराराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट, निवासी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर 4. मूलाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी बोड़वा तहसील बायतु, जिला बालोतरा

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 12.06.2025

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 339 / 265 रकबा 8.0937 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 337 / 265, 338 / 265 रकबा क्रमशः 6.7663, 6.8877 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी घर एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध मे तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय लट्ठा [illegible] अंकन होने जाने से वर्तमान मे मौके पर खसरा नम्बर 339 / 265 के स्थान पर [illegible] 337 / 265 के खातेदारान् का कब्जा काश्त है, जिसमें उनके र[illegible] है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान [illegible] के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जि[illegible] उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकन मौखिक रूप से तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित [illegible] के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर 337/265 व 339/265 की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 337/265, 339/265 रकबा क्रमशः 8.0937, 6.7663 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ★ जिला-बाड़मेर ★
सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:54:14 IST
Reason: SelfAttested